

7/9/21

काद पत्र: 136 CR Act
सारा वकील के राजेंद्र सिंह सोबती पेश किया गया।
सरिफ्टा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर
प्रतिवादीगण/अपराधीगण को सुनवाई हेतु तसब किया जाकर दि. 14/09/21 को पेश हो।

14-9-21

पत्रावली पेश हुई। तमील छाथी उपस्थित हैं अपाथी का नोटिस बाद तामील संलग्न है तहसीलदार नैनबां से जवाब प्राथना पत्र प्राप्त हो चुका है तमील छाथी की बहस हुई। अपाथी तहसीलदार नैनबां ने अपनी रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम देई की जमाबन्दी संवत् 2076-79 के खाता सं. नया 1004 पुराना 857 के खसरा सं. 1847, 1851, 1852, 1852/1, 1853, 2701, 0.0485, 0.0809, 0.0243, 0.2993, 0.1214 कुल कित 6 कुल रकबा 1.0598 है श्रुति मोहम्मद आजान, मोहम्मद शादान, मोहम्मद खुबदान पुत्र मोहम्मद शईद व शीजीन अंसारी पत्नी मोहम्मद सईद जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा के नाम खाते दर्ज है। मुताबिक आधार नं. 254897981600 व जन्म प्रमाण पत्र कोटा नगर निगम कोटा सं. 81300 दि. 9.4.2009 के अनुसार खातेदार मोहम्मद खुबदान पुत्र मोहम्मद शईद की आयु 15 वर्ष है जिसे खाते में नाबालिग जय वली माता शीजीन अंसारी पत्नी मोहम्मद शईद



उपरवर्ण अधिकारी
नैनबां (बुन्दी)

दर्ज करना उचित होगा एवं शूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में रूपगन नहीं होना अंकित किया है अतः प्रकर 01 में खतिद्वार मोहम्मद सुबहान पुत्र मोहम्मद शरिफ की नाबालिग जिये वली माता शेजिन अंसारी पत्नी मोहम्मद शरिफ दर्ज करना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, उस्तुत रिपोर्ट इस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। मोहम्मद सुबहान की आयु 15 वर्ष होने से प्रार्थना द्वारा चाही गयी यानचना के अनुसार इन्दाज दुरुस्त फरमाया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम देह की जमाबन्दी संवत् 2076-79 के खाता सं. नया 1004 पुराना 857 के खसरा जे. 1847, 1851, 1852, 1852/1, 1853, 0.04854, 0.0485, 0.0809, 0.0243, 0.2993, 2701 कुल किला 6 कुल रुकबा 1.0598, 0.1214

मे दर्ज खतिद्वार मोहम्मद सुबहान पुत्र मोहम्मद शरिफ जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर के स्थान पर "मोहम्मद सुबहान पुत्र मोहम्मद शरिफ नाबालिग जिये वली माता शेजिन अंसारी पत्नी मोहम्मद शरिफ जाति मुसलमान निवासी विज्ञान नगर कोटा" का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निषय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली बाद तकमील दारिखल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (पुन्सी)